न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 99 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
रूगनाथ पुत्र कोलाजी जाति विश्नोई निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	1. बबूलाल पुत्र भागीरथ 2. जगदीश पुत्र भागीरथ 3. मालाराम पुत्र वरींगाजी सभी जातियान विश्नोई निवासीयान पादरू तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टैट बैंक शाखा पादरू 5. श्रीमान तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 49 / 2017 बअनवान रूगनाथ बनाम बाबूलाल वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.04.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री श्रवणकुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री प्रकाश चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—08.02.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक सम्पति की भूमि मौजा वावनगर, पटवार क्षेत्र पादरू तहसील सिवाना जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 1904 / 1740 रकबा 106 बीघा की आई हुई है। जिसका पक्षकारान आपसी सहुलियत अनुसार मौखिक बंटवाड़ा कर अपने—अपने हिस्से में ढाणियां, टांके इत्यादि बनाकर, रहवास तथा काश्त करते आ रहे है लेकिन भूमि शामलाती होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बरसात होने पर काश्त को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। वादग्रस्त आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करना मुश्किल हो गया है। इसलिए बंटवाड़े करने हेतु हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली वर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिवाना को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिवाना द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/प्रतिवादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2018 को इस अपीलाधीन खेत के संबंध में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सिवाना से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया था, लेकिन तहसीलदार साहब सिवाना मौके पर नहीं आये और हल्का पटवारी व आर आई से विभाजन प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में भेजा जो सही नहीं था क्योंकि हल्का पटवारी व आर आई ने हमारे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा जिस पर हम पक्षकारान की दाणियां एक दुसरे के कब्जे मे चली गई है तथा मौके पर हमारे

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कब्जे काश्त में अंतर आ गया है और इस गलत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलांटस की ढाणी हमारे हिस्से में आ गई तथा हमारे टांके व बाड़ अपीलांट के हिस्से मे चले गये तथा रोड तक आने जाने के रास्ते बंद हो गये। जिससे मौके पर विवाद पैदा हो गया है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि प्राथमिक डिक्री के आधार पर तैयार विभाजन प्रस्ताव व उसके आधार पर पारित फाईनल डिक्री बिना अपीलांटस की सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया है। इस कारण इस निर्णय व डिक्री का अपीलांट को पूर्व में ज्ञान नहीं हो सका। इसका वास्तविक ज्ञान अपीलांट को दिनांक 02.08.2022 को हुआ तथा ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत प्रकरण को अपील पत्रावली में उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने रिमाण्ड करने पर सहमति जाहिर की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.04.2018 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 49/2017 बअनवान रुगनाथ बनाम बाबूलाल वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.04.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मददेनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.04.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा सिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर